

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 10] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 7—मार्च 13, 2015 (फाल्गुन 16, 1936)

No. 10] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 7— MARCH 13, 2015 (PHALGUNA 16, 1936)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]
[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by
Statutory Bodies]

भारतीय रिज़र्व बैंक

मुंबई, दिनांक 3 फरवरी 2015

बैंकवि. सं. आरईटी. बीसी. 69/12.02.001/2014-15—बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 24 की उप-धारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा 05 अगस्त 2014 की अधिसूचना बैंकवि. सं. आरईटी. बीसी. 28/12.02.001/2014-15 तथा 06 अगस्त 2014 की अधिसूचना ग्राआरूवि. आरआरबी.सं. 23/03.05.33/2014-15 में आंशिक संशोधन करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्वारा यह विनिर्दिष्ट करता है कि 07 फरवरी 2015 से शुरू होने वाले पखवाड़े से प्रत्येक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक तथा स्थानीय क्षेत्र बैंक 09 मई 2011 की अधिसूचना बैंकवि. सं. आरईटी. बीसी. 91/12.02.001/2010-11 और 17 अप्रैल 2012 की अधिसूचना बैंकवि. सं. आरईटी. बीसी. 94/12.02.001/2011-12 में यथावर्णित आस्तियां भारत में बनाए रखेगा और प्रत्येक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 29 अक्टूबर 2009 की अधिसूचना ग्राआरूवि.केंका.सं.आरआरबी.सं. 35/03.05.28(बी) /2009-10 में यथावर्णित आस्तियां भारत में बनाए रखेगा, जिनका मूल्य किसी भी दिन कारोबार की समाप्ति पर दूसरे पूर्ववर्ती पखवाड़े के अंतिम शुक्रवार को भारत में कुल निवल मांग और मीयादी देयताओं के 21.5 प्रतिशत से कम नहीं होगा।

चंदन सिन्हा
कार्यपालक निदेशक

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

नई दिल्ली, दिनांक 10 फरवरी 2015

संख्या: एन-15/13/6/40/2014-यो0 एवं वि0 कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम-1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, (1948 का 34) की धारा-46(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 01 फरवरी, 2015 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम-95-क तथा केरल कर्मचारी राज्य बीमा नियम-1957 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ केरल राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किये जाएंगे, अर्थात्:

वयनाड जिला के वैत्तिरि तालूक में तृकैपट्टा।

मुहम्मद इरफान
संयुक्त निदेशक (यो. एवं वि.)

संख्या: एन-15/13/6/39/2014-यो0 एवं वि0 कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम-1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, (1948 का 34) की धारा-46(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 01 फरवरी, 2015 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम-95-क तथा केरल कर्मचारी राज्य बीमा नियम-1957 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ केरल राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किये जाएंगे, अर्थात्:

वयनाड जिला के वैत्तिरि तालूक में मुट्टिल नौर्थ।

मुहम्मद इरफान
संयुक्त निदेशक (यो. एवं वि.)

संख्या: एन-15/13/6/38/2014-यो0 एवं वि0 कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम-1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, (1948 का 34) की धारा-46(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 01 फरवरी, 2015 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम-95-क तथा केरल कर्मचारी राज्य बीमा नियम-1957 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ केरल राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किये जाएंगे, अर्थात्:

वयनाड जिला के वैत्तिरि तालूक में मुट्टिल साऊथ।

मुहम्मद इरफान
संयुक्त निदेशक (यो. एवं वि.)

संख्या: एन-15/13/6/37/2014-यो0 एवं वि0 कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम-1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, (1948 का 34) की धारा-46(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 01 फरवरी, 2015 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम-95-क तथा केरल कर्मचारी राज्य बीमा नियम-1957 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ केरल राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किये जाएंगे, अर्थात्:

वयनाड जिला के वैत्तिरि तालूक में कणियामपेट्टा।

मुहम्मद इरफान
संयुक्त निदेशक (यो. एवं वि.)

संख्या: एन-15/13/6/36/2014-यो0 एवं वि0 कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम-1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, (1948 का 34) की धारा-46(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 01 फरवरी, 2015 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम-95-क तथा केरल कर्मचारी राज्य बीमा नियम-1957 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ केरल राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किये जाएंगे, अर्थात्:

वयनाड जिला के वैत्तिरि तालूक में वेंगाप्पल्ली।

मुहम्मद इरफान
संयुक्त निदेशक (यो. एवं वि.)

संख्या: एन-15/13/14/3/2015-यो0 एवं वि0 कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम-1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, (1948 का 34) की धारा-46(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 01 फरवरी, 2015 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम-95-क तथा तमिलनाडु कर्मचारी राज्य बीमा नियम-1958 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ तमिलनाडु राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किये जाएंगे, अर्थात्:

केन्द्र	क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले निम्न राजस्व गाँव
तिरुप्पूर जिले में अविनाशिपालयम	1. दक्षिण अविनाशिपाळैयम (अविनाशिपालैयम) क) कोडुवाय ख) नागलिंगपुरम ग) गौन्डपुदूर घ) अय्यपाळैयम (अय्यपालैयम) - ड.) सेम्माण्ड गौन्डपुदूर च) ओलप्पाळैयम (ओलप्पालैयम) छ) वट्टमलैपाळैयम (वट्टमलैपालैयम) ज) अविनाशिपाळैयम (अविनाशिपालैयम) झ) वेलायुदम पाळैयम (वेलायुदम पालैयम) ञ) चेल्लपुळ्ळ पाळैयम (चेल्लपुल्ल पालैयम) 2. पी. के. पाळैयम (पालैयम) (पी. के. पालैयम) 3. कोडुवै 4. तोंगुट्टिपाळैयम (तोंगुट्टिपालैयम) क) तोंगुट्टिपाळैयम (तोंगुट्टिपालैयम) ख) पामडै ग) करुक्कन तिरुडी पाळैयम (करुक्कन तिरुडी पालैयम) घ) टी आण्डी पाळैयम (टी आण्डी पालैयम) - ड.) राक्किया गौन्डम पाळैयम (राक्किया गौन्डम पालैयम) च) परुवाक्कणपाळैयम् (परुवाक्कणपालैयम्) छ) मसनल्लाम पाळैयम् (मसनल्लाम पालैयम्) ज) मसनल्लाम पाळैयम् पुदूर (मसनल्लाम पालैयम् पुदूर) झ) कुमार पाळैयम (कुमार पालैयम) ञ) मलै पाळैयम (मलै पालैयम) ट) वेळ्ळियम पाळैयम (वेळ्ळियम पालैयम) ठ) पेस्तोषुवु - ड.) करट्टुपुदूर ड) करट्टुपाळैयम (करट्टुपालैयम) ण) मुत्तुनगर

	5. उगायनूर क) उगायनूर ख) पण्णयकिण्टरूपलैयम (पण्णयकिण्टरूपलैयम) ग) सेमलै गौन्डपुदूर घ) वडुगपाळैयम ङ.) अकिलांदपुरम च) गुरुनादंपाळैयम् (गुरुनादंपालैयम) छ) वरक्कुट्टै पालैयम् (वरक्कुट्टै पालैयमअ) ज) काट्टुपाळैयम (काट्टुपालैयम) झ) पल्लवरायन्पाळैयम (पल्लवरायन्पालैयम) ञ) कुप्पुच्चीपाळैयम (कुप्पुच्चीपालैयम) ट) पोल्लिकाळिपाळैयम (पोल्लिकालिपालैयम) ठ) लिंगप्प नायकन पाळैयम (लिंगप्प नायकन पालैयम)
--	---

मुहम्मद इरफान
संयुक्त निदेशक (यो. एवं वि.)

संख्या: एन-15/13/14/3/2015-यो0 एवं वि0 कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम-1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, (1948 का 34) की धारा-46(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 01 फरवरी, 2015 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम-95-क तथा तमिलनाडु कर्मचारी राज्य बीमा नियम-1958 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ तमिलनाडु राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किये जाएंगे, अर्थात्:

केन्द्र	क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले निम्न राजस्व गाँव
तिरुनेलवेली जिले में तिरुनेलवेली तालुक कोंडनगरम	1. कोंडनगरम

मुहम्मद इरफान
संयुक्त निदेशक (यो. एवं वि.)

संख्या: एन-15/13/12/6/2014-यो0 एवं वि0 कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम-1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, (1948 का 34) की धारा-46(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 01 फरवरी, 2015 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम-95-क तथा राजस्थान कर्मचारी राज्य बीमा नियम-1955 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ राजस्थान राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किये जाएंगे, अर्थात्:

क्रम सं.	राजस्व गाँव का नाम	हद बस्त संख्या	तहसील का नाम	जिले का नाम
1.	2	3	4	5
1.	जैसलमेर		जैसलमेर	जैसलमेर
2.	मूल सागर		जैसलमेर	जैसलमेर
3.	अमर सागर		जैसलमेर	जैसलमेर
4.	बड़ा बाग		जैसलमेर	जैसलमेर
5.	काहला		जैसलमेर	जैसलमेर
6.	डाबला		जैसलमेर	जैसलमेर
7.	दरबारी का गांव		जैसलमेर	जैसलमेर
8.	बरमसर		जैसलमेर	जैसलमेर

मुहम्मद इरफान
संयुक्त निदेशक (यो. एवं वि.)

संख्या: एन-15/13/3/2/2014-यो0 एवं वि0 कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम-1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, (1948 का 34) की धारा-46(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 01 फरवरी 2015 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम-95-क तथा बिहार कर्मचारी राज्य बीमा नियम-1958 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ बिहार राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किये जाएंगे, अर्थात्:

क्रम सं.	राजस्व ग्राम का नाम/क्षेत्र	हदवस्त सं./थाना सं	तहसील/तालुक	जिला
1.	धनडीहा	133	कोईलवर-आरा रोड	भोजपुर
2.	कोईलवर नगर पंचायत	107	मौजा-महनी	भोजपुर
3.	कोईलवर नगर पंचायत	130	मौजा-छितरपुर	भोजपुर
4.	कोईलवर नगर पंचायत	131	मौजा-सुरौंधा	भोजपुर
5.	कोईलवर नगर पंचायत	132	मौजा-कोईलवर	भोजपुर
6.	कोईलवर नगर पंचायत	436	मौजा-रूदासीपुर	भोजपुर

मुहम्मद इरफान
संयुक्त निदेशक (यो. एवं वि.)

दिनांक 11 फरवरी 2015

संख्या: एन-15/13/14/2/2015-यो0 एवं वि0 कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम-1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, (1948 का 34) की धारा-46(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने

01 फरवरी, 2015 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम-95-क तथा तमिलनाडु कर्मचारी राज्य बीमा नियम-1958 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ तमिलनाडु राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किये जाएंगे, अर्थात्:

केन्द्र	क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले निम्न राजस्व गाँव
अरियलूर क्षेत्र अरियलूर तालुक अरियलूर जिला	1. अरियलूर 2. अरियलूर नार्थ 3. अरियलूर साउथ 4. गोविंदपुरम 5. कीलपलुवूर 6. कैरलाबाद 7. रेड्डिपलैयम 8. वारणवासी

मुहम्मद इरफान
संयुक्त निदेशक (यो. एवं वि.)

संख्या: एन-15/13/3/1/2014-यो0 एवं वि0 कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम-1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, (1948 का 34) की धारा-46(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 01 फरवरी 2015 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम-95-क तथा बिहार कर्मचारी राज्य बीमा नियम-1958 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ बिहार राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किये जाएंगे, अर्थात्:

क्रम सं.	राजस्व ग्राम का नाम/क्षेत्र	हदवस्त सं./थाना सं	तहसील/तालुक	जिला
1.	गिद्धा, औद्योगिक विकास क्षेत्र	139	गिद्धा	भोजपुर
2.	गिद्धा, आरा	139	गिद्धा	भोजपुर

मुहम्मद इरफान
संयुक्त निदेशक (यो. एवं वि.)

RESERVE BANK OF INDIA

Mumbai, the 3rd February 2015

Ref. DBR. No. Ret. BC. 69 /12.02.001/2014-15—In exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of Section 24 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949) and, in partial modification of the Notifications DBOD.No.Ret.BC.28/12.02.001/2014-15 dated August 05, 2014 and RPCD.RRB. No.23/03.05.33/2014-15 dated August 06, 2014, the Reserve Bank hereby specifies that with effect from the fortnight beginning February 07, 2015, every Scheduled Commercial Bank and Local Area Bank shall maintain in India assets as detailed in notification DBOD No Ret BC 91/12.02.001/2010-11 dated May 09, 2011 and DBOD No. Ret BC. 94/12.02.001/2011-12 dated April 17, 2012, and every Regional Rural Bank shall maintain in India assets as detailed in notification RPCD.CO.No.RRB.No.35/03.05.28(B)/2009-10 dated October 29, 2009, the value of which shall not at the close of business on any day be less than 21.5 per cent of the total net demand and time liabilities in India as on the last Friday of the second preceding fortnight.

CHANDAN SINHA
Executive Director

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

New Delhi, the 10th February 2015

No. N-15/13/6/40/2014-P&D—In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 1st February, 2015 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Kerala Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1957 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Kerala namely:-

Revenue village of Thrikkaipetta in Vythiri Taluk of Wayanad District.

MOHD. IRFAN
Joint Director (P&D)

No. N-15/13/6/39/2014-P&D—In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 1st February, 2015 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Kerala Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1957 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Kerala namely:-

Revenue village of Muttill North in Vythiri Taluk of Wayanad District.

MOHD. IRFAN
Joint Director (P&D)

No. N-15/13/6/38/2014-P&D—In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 1st February, 2015 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Kerala Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1957 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Kerala namely:-

Revenue village of Muttill South in Vythiri Taluk of Wayanad District.

MOHD. IRFAN
Joint Director (P&D)

No. N-15/13/6/37/2014-P&D—In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 1st February, 2015 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Kerala Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1957 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Kerala namely:-

Revenue village of Kaniyampetta in Vythiri Taluk of Wayanad District.

MOHD. IRFAN
Joint Director (P&D)

No. N-15/13/6/36/2014-P&D—In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 1st February, 2015 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Kerala Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1957 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Kerala namely:-

Revenue village of Vengappally in Vythiri Taluk of Wayanad District.

MOHD. IRFAN
Joint Director (P&D)

No. N-15/13/14/4/2015-P&D—In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 1st February, 2015 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Tamil-Nadu Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1958 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Tamil-Nadu namely:-

CENTRE	AREA COMPRISING THE REVENUE VILLAGES OF
Avinashipalayam Tirupur District	1. South Avinashipalayam a) Koduvai b) Nagalingapuram c) Goundanpudur d) Ayampalayam e) Semmanda Gounden Pudur f) Ollapalyam g) Vattamalaipalayam h) Avinashipalayam i) Vellayudham Palayam j) Sellapulla Palayam 2. P.K.Palayam 3. Koduvai 4. Thonguttipalayam a) Thonguttipalayam b) Paamadaai c) Karukkan Thirudi Palayam d) T.Andipalayam e) Rackiya Goundam Palayam f) Paruvakanapalayam g) Masanallampalayam h) Masanallampalayam Pudur i) Kumara Palayam j) Malaipalayam k) Velliyampalayam l) Peran Tholuvu m) Karattupudur n) Karatpalayam o) Muthunagar 5. Ugayannur a) Ugayannur b) Pannaikinathupalayam c) Semalaigounderpudur d) Vadugapalayam e) Akhilandapuram f) Gurunathanpalayam g) Varakuttaipalayam h) Kattupalayam i) Pallavarayanpalayam j) Kuppichipalayam k) Pollikalipalayam l) Lingappa Naicken Palayam

MOHD. IRFAN
Joint Director (P&D)

No. N-15/13/14/3/2015-P&D—In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95–A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 1st February, 2015 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95–A and the Tamil-Nadu Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1958 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Tamil-Nadu namely:-

CENTRE	AREA COMPRISING THE REVENUE VILLAGES OF
Kondanagaram Tirunelveli Taluk Tirunelveli District	1. Kondanagaram

MOHD. IRFAN
Joint Director (P&D)

No. N-15/13/12/6/2014-P&D—In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95–A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 1st February, 2015 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95–A and the Rajasthan Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1955 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Rajasthan namely:-

S. No.	Name of Revenue Village	Had Bast Number	Name of Tehsil	Name of District
1	2	3	4	5
1.	JAISALMER		JAISALMER	JAISALMER
2.	MOOL SAGAR		JAISALMER	JAISALMER
3.	AMAR SAGAR		JAISALMER	JAISALMER
4.	BARA BAGH		JAISALMER	JAISALMER
5.	KAHALA		JAISALMER	JAISALMER
6.	DABLA		JAISALMER	JAISALMER
7.	DARBARI KA GAON		JAISALMER	JAISALMER
8.	BARM SAR		JAISALMER	JAISALMER

MOHD. IRFAN
Joint Director (P&D)

No. N-15/13/3/2/2014-P&D—In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95–A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 1st February, 2015 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95–A and the Bihar Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1959 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Bihar namely:-

Sl. No.	Name of the Revenue Village	Had Bast No./ Thana No.	Tehsil/Taluk	District
1.	Dhandiha	133	Koilwar- Aara Road	Bhojpur
2.	Koilwar Nagar Panchyat	107	Mauza-Mahni	Bhojpur
3.	Koilwar Nagar Panchyat	130	Mauza-Chhitarpur	Bhojpur

4.	Koilwar Nagar Panchyat	131	Mauza-Suraundha	Bhojpur
5.	Koilwar Nagar Panchyat	132	Mauza-Koilwar	Bhojpur
6.	Koilwar Nagar Panchyat	436	Mauza-Rudasipur	Bhojpur

MOHD. IRFAN
Joint Director (P&D)

The 11th February 2015

No. N-15/13/14/2/2015-P&D—In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 1st February, 2015 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Tamil-Nadu Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1958 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Tamil-Nadu namely:-

CENTRE	AREA COMPRISING THE REVENUE VILLAGES OF
Ariyalur area Ariyalur Taluk Ariyalur District	1. Ariyalur 2. Ariyalur North 3. Ariyalur South 4. Govindapuram 5. Keelapaluvur 6. Kairlabad 7. Reddipalayam 8. Varanavasi

MOHD. IRFAN
Joint Director (P&D)

No. N-15/13/3/1/2014-P&D—In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 1st February, 2015 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Bihar Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1959 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Bihar namely:-

Sl. No.	Name of the Revenue Village	Had Bast No./ Thana No.	Tehsil/ Taluk	District
1.	Giddha Industrial Development Area, Giddha	139	Giddha	Bhojpur
2.	Giddha, Arrah	139	Giddha	Bhojpur

MOHD. IRFAN
Joint Director (P&D)

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में
मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2015
PRINTED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS,
N.I.T. FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2015

www.dop.nic.in